

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-53/17

संस्थित दिनांक- 23.02.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. दयाराम पुत्र तेजराम अहिरवार उम्र 40 साल
2. धन्ना लाल पुत्र तेजराम अहिरवार उम्र 42 साल
3. प्रकाश पुत्र तेजराम अहिरवार उम्र 30 साल
निवासी ग्राम रामनगर तहसील चंदेरी
जिला- अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 14.06.2017 को घोषित)

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323 अथवा 323/34, 324 अथवा 324/34, 506बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 23.01.2017 शाम करीबन 07:00 बजे थाना चंदेरी ग्राम रामनगर स्थित लोक स्थल पर फरियादी अरविंद को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी अरविंद को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी अरविंद को धारदार हथियार कुल्हाडी से एवं लातघूंसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.01.2017 को शाम करीबन 07:00 बजे फरियादी अरविंद ने खेत पर पानी के लिये लेजम बिछायी थी, दयाराम ने आकर लेजम को खींच दिया, जब फरियादी ने कहा लेजम क्यों खींची तो दयाराम, धन्ना, प्रकाश तीनों ने आकर गालियां फरियादी को मां बहन की बुरी बुरी गालियां दी, गाली देने से मना करने पर दयाराम ने कुल्हाडी की मुंद की मारी जो सिर के पीछे लगने से खून निकल आया और धन्ना लाल एवं प्रकाश ने लातघूंसों से मारपीट की जो, जिससे कमर में मुन्दी चोट आयी, फरियादी के चिल्लाने पर मौके पर राजेंद्र व मीना बाई, सुमित्रा और सुनीता आ गये, जिन्होंने घटना देखी व बीच बचाव किया। तीनों जाते जाते कह गये कि दुबारा खेत पर पाईप डाली तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी अरविंद द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में

अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-23/17 अंतर्गत धारा- 294, 323, 506, 324, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-14.06.17 को फरियादी अरविंद के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा-294, 323 अथवा 323/34, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा-324 अथवा 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।

04- अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 23.01.2017 शाम करीबन 07:00 बजे थाना चंदेरी ग्राम रामनगर फरियादी अरविंद को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी अरविंद को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06- अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आयी साक्ष्य को देखते हुये फरियादी अरविंद (अ0सा0-1) व राजेंद्र (अ0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी अरविंद (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनो में कहना है कि घटना इसी वर्ष जनवरी माह की है। वह अपने खेत पर था, तो शाम करीबन सात-आठ बजे आरोपी दयाराम ने उसकी पानी की लेजम खींच कर अपने खेत में कर ली थी जिस पर मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ गाली-गलौच की थी, जिससे उन लोगों का मुंहवाद हो गया था तथा उक्त घटना में अभियुक्तगण ने उसके साथ धक्का मुक्की भी कर दी थी।

07- फरियादी अरविंद (अ0सा0-1) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन की घटना दिनांक को

अभियुक्त दयाराम के द्वारा उसके खेत से पानी की लेजम खेचने पर से अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ विवाद किया था, को बचाव पक्ष की ओर इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी है और न ही बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा में सुझाव के माध्यम से घटना दिनांक को फरियादी अरविंद (अ0सा0-1) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में बतायी गयी घटना का खण्डन किया गया। घटना दिनांक को दयाराम द्वारा फरियादी के खेत से पानी की लेजम खेचने पर से अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ विवाद किया था इस बात की पुष्टि प्रकरण में लेखबद्ध करायी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 से भी होती है जिस पर फरियादी ने अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

- 08— अतः फरियादी अरविंद (अ0सा0-1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त अखण्डित कथनों से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को शाम करीबन सात-आठ बजे दयाराम के द्वारा फरियादी के खेत से लेजम खेचने पर फरियादी अरविंद (अ0सा0-1) के द्वारा मना करने पर आरोपीगण द्वारा फरियादी अरविंद (अ0सा0-1) के साथ विवाद किया गया। फरियादी अरविंद (अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्तगण से घटना दिनांक को विवाद होने की पुष्टि तो की है, परन्तु फरियादी अरविंद (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी के विरुद्ध यह कहना है कि घटना में केवल गाली-गलौच और मुंहवाद हुआ था तथा आरोपीगण द्वारा धक्का मुक्की की गयी थी इस साक्षी का कहना है कि घटना में आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुयी और न ही उसे घटना में कोई चोटें आयी थी, बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के विपरीत इस साक्षी का यह कहना है कि उसे घटना के पूर्व की चोट थी।
- 09— फरियादी अरविंद (अ0सा0-1) के द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में मारपीट की घटना से ही इन्कार किया गया है तथा घटना में स्वयं को कोई चोट न आना बताया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 में लेखबद्ध करायी गयी घटना फरियादी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों के विपरीत है जिससे फरियादी के उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 से नहीं होती है। मारपीट की घटना के संबंध में एवं स्वयं को घटना में आयी चोटों के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण फरियादी अरविंद (अ0सा0-1) को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया, परन्तु इस साक्षी ने अपने परीक्षण में अभियोजन का उपरोक्त घटना के संबंध में लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है अभियुक्त दयाराम ने उसके सिर में कुल्हाड़ी से उपहति कारित की थी तथा इस बात का भी खण्डन किया है कि अभियुक्तगण धन्नालाल, प्रकाश ने उसके साथ लातघुसों के साथ मारपीट कर उपहति कारित की थी।
- 10— फरियादी अरविंद (अ0सा0-1) ने अपने कथनों में व्यक्त किया है उसने दयाराम द्वारा उसके सिर में कुल्हाड़ी से एवं धन्ना लाल व प्रकाश के द्वारा उसके साथ लातघुसों से मारपीट कर उपहति कारित करने की घटना न तो पुलिस रिपोर्ट प्रपी 1 में लेख करायी और न ही इस संबंध में पुलिस को प्रपी 2 का कोई कथन दिया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा दिये गये सुझाव पर सहमति दी थी, अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही घटना में उसे चोटें आयी। अतः भले ही घटना दिनांक को अरविंद (अ0सा0-1) के सिर में चिकित्सीय परीक्षण में उपहति पायी गयी है, परन्तु फरियादी अरविंद (अ0सा-1) के यह कहने से की उसे घटना में कोई चोट न ही आयी थी तथा सिर की चोट घटना के पूर्व की थी एवं मारपीट की घटना के संबंध में फरियादी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण में से किसी ने या सभी ने सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित की थी।

- 11— अभियोजन की ओर से घटना के स्वतंत्र साक्षी के रूप में राजेंद्र (अ0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं परन्तु राजेंद्र (अ0सा0-2) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है। इस साक्षी का कहना है कि उसके सामने न तो कोई घटना हुयी है और न ही उसने पुलिस को कोई बयान दिया हैं। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु इस साक्षी ने भी अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये।
- 12— अतः अभिलेख आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। फरियादी जो कि स्वयं अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहत है, मारपीट की घटना से ही इन्कार करता है तथा सिर की चोट घटना के पूर्व की होना बताता है वहीं अभियोजन घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी राजेंद्र (अ0सा0-2) घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करता है, जिससे साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने एवं साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ कि अभियुक्तगण ने दिनांक 23.01.2017 शाम करीबन 07:00 बजे थाना चंदेरी ग्राम रामनगर फरियादी अरविंद को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी अरविंद को धारदार हथियार कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 13— फलस्वरूप अभियुक्तगण दयाराम पुत्र तेजराम अहिरवार, धन्ना लाल पुत्र तेजराम अहिरवार, प्रकाश पुत्र तेजराम अहिरवार के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-324 अथवा 324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण दयाराम पुत्र तेजराम अहिरवार, धन्ना लाल पुत्र तेजराम अहिरवार, प्रकाश पुत्र तेजराम अहिरवार को भा0दं0वि0 की धारा-324, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 14— अभियुक्तगण दयाराम पुत्र तेजराम अहिरवार, धन्ना लाल पुत्र तेजराम अहिरवार, प्रकाश पुत्र तेजराम अहिरवार के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

